न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

देवी सिंह बनाम सचिव ग्राम पंचायत ठीकरिया

प्रकरण संख्या :-44/25

1. देवी सिंह पुत्र मोतीलाल जाति खंगार निवासी ग्राम कोडियापाटन तहसील मनोहरथाना

..... वादी

1 सचिव ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील मनोहरथाना

..... प्रतिवादी गण

विषय: दावा अंतर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन।

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 20.01.2026

उपस्थित

श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल अधिवक्ता वादीगण

वादी द्वारा एक वाद जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक11.06.25 को अंतर्गत धारा 183,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया है। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:- ग्राम कोडिया पाटन पटवार हलका ठीकरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के माल की नई खाता संख्या 16 की खसरा नंबर क्रमशः 32 एवं 33 कुल किता2 आराजी 0.1618 हेक्टेयर वादी के खाते की आराजी है जिसका की वादी स्वामी है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी सचिव ग्राम पंचायत ठीकरिया ने अरसा 9-10 पूर्व जबरन बलपूर्वक 10 -12 फीट चौड़ाई व लंबाई 200 फीट पर खुरंजे का निर्माण कर दिया है। प्रतिवादी द्वारा वादी की बिना अनुमति के अतिक्रमण कर सड़क बना दी है तथा वादी की आराजी पर सार्वजनिक हैंड पंप भी लगवा दिया है तथा गांव का गंदी नालियों का सारा पानी वादी की जमीन पर छोड़ दिया है जिससे वादी को कृषि कार्य करने में

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

समस्या उत्पन्न हो रही है । इस प्रकार के कार्य का ग्राम पंचायत को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा वादी की आराजी बिना भूमि अबाप्त किया तथा बिना मुआवजे के ही प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है वादी द्वारा प्रतिवादी से अपनी आराजी पर से अतिक्रमण हटाने हेतु कहा गया परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई अंतिम बार दिनांक 21.8.2024 को वादी द्वारा एक रजिस्टर्ड नोटिस अंतर्गत धारा 109 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत दिया गया लेकिन प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया,ना ही अतिक्रमण हटाया जिससे वादी को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है ।इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी के खिलाफ दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया है।

वादी ने वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी संवत 2075 -78 नई खाता संख्या 16, अपना शपथ पत्र, सचिव ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील मनोहर थाना को नोटिस अंतर्गत धारा 109 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम राजस्थान की प्रति, उक्त नोटिस क़े जवाब मे तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत ठीकरिया द्वारा भेजा गया पत्र क्रमांक /2024-25/ spl -1 दिनाँक 16.10.24 पेश किये है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई किंतु बावजूद तलबी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई गई । साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र तथा बिहारीलाल पिता रतनलाल का शपथ पत्र पेश किया है। दौराने बहस अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में लिखे गए कथनों को ही दोहराया गया तथा उसी के अनुसार वादी का दावा डिक्री किए जाने की प्रार्थना की ।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का गौर पूर्वक अध्ययन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहन अवलोकन किया तथा इस वाद पत्र के सन्दर्भ में तथ्यों एवं विधिक प्रावधानो पर मनन किया। वादी द्वारा अंतर्गत धारा 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बेदखली का दावा पेश किया गया है उक्त धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लिए प्रावधानों का यहां उल्लेख किया जाना समीचीन होगा :-

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 183 अतिक्रमियों की बेदखली बाबत है जो इस प्रकार है--

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

धारा 183– कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली -

(1)इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या ले रखा है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखली करने क़े हकदार है उप धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो के लिए जुर्माने के तौर पर ऐसी रकम चुकाने का भी भागी होगा जो सालाना लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमण को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है तहसीलदार राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसरण में कार्रवाई करेगा।

प्रतिवादी सचिव ने नोटिस क़े जवाब मे अवगत कराया है कि विवादित सड़क निर्माण संबंधित कोई पत्रावली उनके कब्जे में उपलब्ध नहीं है, ना हीं उन्हें चार्ज मे मिली है। सामान्य कार्यालयी पद्धति अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों का रजिस्टर या इस प्रकार किया गया कोई सार्वजनिक व्यय का लेखा-जोखा कार्यालय में संधारित रहता है। सचिव का यह कथन की इस जगह पर बनाई गई सड़क या हैंडपंप ग्राम पंचायत द्वारा बनाए हो उनकी जानकारी में नहीं है। फलस्वरूप ग्राम पंचायत को प्रत्यक्ष अतिक्रमण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अतः दावा वादी विरुद्ध ग्राम पंचायत ख़ारिज निर्णित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर दिनांक 20 जनवरी 2026 को सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना